

दिनांक 16-07-2015 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम—लखनऊ जोन, मुख्यालय, लखनऊ

(समस्त प्रकरण निस्तारित)

क्रम सं०	आवेदक का नाम, पता एवं पता	शिकायत का विषय	पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1.	श्री वीरेन्द्र स्याल, श्री मुकेश चन्द्र सती, ए-99, नेहरू कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड मो०नं०-०९८९७१६५७४४	भवन सं०-ए-१०० एवं ए-१०१ के आवंटियों को ए-९९ के घर के आगे की सड़क आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति मुख्यालय के पत्रांक ३२२ दिनांक ११.०३.२०१६ द्वारा अवगत कराया गया कि अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, महोदय द्वारा अवैध निर्माण की स्थित में इसे गिराने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत निर्माण गिराने की कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण निस्तारित
2.	श्री प्रीतम लाल चाचरा, डी०-१०४, नेहरू कालोनी, देहरादून। मो०नं०-०९७१९०५७८०१	अधिभीत सहारनपुर द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत कब्जा हटाया जायेगा।	प्रकरण निस्तारित
3.	श्री गेंदा लाल, १५/१४८, इन्दिरा नगर, लखनऊ। मो०नं०-९४१०८५२८०३	एस०एफ०एस० भवन सं०-१५ / १४८ के नामान्तरण के संबंध में।	—		मूल पत्रावली ई०ओ०डब्ल०० के पास जब्त होने के कारण कार्यवाही सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित
4.	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव। ई०/४०७३, राजाजीपुरम, लखनऊ मो०नं०-९४५२९२३७१०	भवन संख्या—ई-४०७३ के नामान्तरण के सम्बन्ध में।	—	०७ दिन	सम्पत्ति प्रबंधक अधिकारी, राजाजीपुरम, कार्यवाही सम्पन्न की गयी की सूचना उपलब्ध करायी गयी।	प्रकरण निस्तारित
5.	श्री राम नरायन खरे, सी-५०५/डी०, इन्दिरा नगर, लखनऊ मो०नं०-८७६५४५५०१८	सी०-५०५/एच प्रथम तल के स्वामी द्वारा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।	—	०७ दिन	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत कब्जा हटाया जायेगा।	प्रकरण निस्तारित

6.	श्रीमती माया गुप्ता पत्नी श्री शशि कुमार गुप्ता, 117/के०, 137ए०, अम्बेडकर नगर, काकादेव, कानपुर मो०नं०—9415478758	केशवपुरम योजना के प्रिमियम भूखण्ड सं०—एल०पी०आर० के ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में।	—	07 दिन	उप आवास आयुक्त (सम्पत्ति) के पत्रांक 2276 दिनांक 3.08.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि आवंटी को 21.10.2013 को साइट प्लान उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त भी रजिस्ट्री नहीं करायी गयी। अतः देय ब्याज माफ किया जाना सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित
7.	श्री आनन्द प्रकाश जयसवाल, सी०—160 एच०ए०एल० कोरबा, अमेठी मो०नं०—9415478758	फ्लैट सं०—२बी—टी०९—९०४ को प्रथम तल पर परिवर्तित किये जाने के संबंध में।	—		उप आवास आयुक्त, अवध विहार योजना, के पत्रांक 1383 दिनांक 29.09.2015 तल परिवर्तन हेतु निर्धारित मांग पत्र जारी किया गया।	प्रकरण निस्तारित
8	श्रीमती सुजीता बाल्मीकी, 11/872, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	भवन सं०—११/८७२ की बकाया धनराशि का भुगतान किश्तों में किये जाने के संबंध में।	—		मूल आवंटी की मृत्यु के कारण नामान्तरण के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।	प्रकरण निस्तारित
9.	श्री जय भगवान शर्मा डी—१०५/१, इन्दिरा नगर, लखनऊ मो०नं०—९५५९३५५८६४	मूल्यांकन आदेश को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	—	07 दिन	सम्पत्ति प्रबन्धक, इन्दिरा नगर, द्वारा मूल्यांकन आदेश जारी किया गया।।	प्रकरण निस्तारित
10.	श्री पवन कुमार निगम, एफ—५०८९, राजाजीपुरम, लखनऊ मो०नं०—९४५११७६०२६	भवन सं०—५०७७ के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।	—	15 दिन	मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल प्राप्त होने पर अनाधिकृत कब्जा हटाया जायेगा।	प्रकरण निस्तारित
11.	श्री मुकेश कुमार उपाध्याय, ८ए/१९५, वृन्दावन योजना, लखनऊ।	अन्य की भाँति समायोजन के सम्बन्ध में।	—	07 दिन	उप आवास आयुक्त (भूमि अर्जन) के पत्रांक ६९०/एल०ए०सी०/एच०क्य० दिनांक 21.07.2015 द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक को उसके प्रकरण में मध्यम आय वर्ग का भवन आधे दामों पर आवंटित किया जा चुका है और वो उसमें ही निवास कर रहा है। दोहरा लाभ दिया जाना सम्भव नहीं।	प्रकरण निस्तारित